

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व: भारत के संदर्भ में अध्ययन

Shivpujan Goswami

NET - Political Science
Goswami Colony, Baseri Dholpur

सारांश (Abstract)

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता, समावेशिता और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण आधार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ महिलाओं को संविधान द्वारा समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके बावजूद संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राजनीतिक दलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु उच्च राजनीतिक संस्थाओं में उनकी उपस्थिति अभी भी सीमित है। यह शोध-पत्र भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति, संवैधानिक प्रावधानों, चुनौतियों, उपलब्धियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, महिला आरक्षण, पंचायती राज, संसद, विधानसभाएँ

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को शासन और नीति-निर्माण प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करना है। महिलाओं की जनसंख्या भारत की कुल आबादी का लगभग आधा भाग है, इसलिए उनकी राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए अनिवार्य है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्णय-निर्माण, नीति-निर्धारण और शासन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने से भी संबंधित है।

भारत में महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक राजनीति तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने यह सिद्ध किया कि वे राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता रखती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया, किंतु वास्तविक प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम रहा।

वर्तमान समय में शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक सशक्तिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। फिर भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने के लिए महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास, सामाजिक न्याय तथा लोकतांत्रिक सुदृढीकरण से भी जुड़ा हुआ है। जब महिलाएँ निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं, तब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बाल विकास, लैंगिक समानता और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों को अधिक प्राथमिकता प्राप्त होती है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला नेतृत्व समाज के वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान में अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाता है।

विश्व स्तर पर भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की समान भागीदारी को लोकतांत्रिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक मानती हैं। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा देगी, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता और उत्तरदायित्व को भी मजबूत बनाएगी।

आज के समय में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अनिवार्यता भी है। इसी संदर्भ में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के विभिन्न आयामों, चुनौतियों तथा संभावनाओं का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

2. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की उपस्थिति तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भूमिका से है। राजनीतिक विज्ञान में प्रतिनिधित्व को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है—

(क) वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व (Descriptive Representation): यह निर्वाचित निकायों में महिलाओं की संख्या अथवा प्रतिशत को दर्शाता है। यदि किसी संसद या विधानसभा में महिलाओं की संख्या अधिक है तो उसे उच्च वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व माना जाता है।

(ख) सार्थक प्रतिनिधित्व (Substantive Representation): यह महिलाओं के हितों, समस्याओं और अधिकारों को नीति-निर्माण में शामिल करने की क्षमता को दर्शाता है। केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं की प्रभावी भूमिका भी आवश्यक है। लोकतंत्र में दोनों प्रकार के प्रतिनिधित्व का संतुलन आवश्यक है ताकि महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक सशक्तता सुनिश्चित हो सके। महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र में यह माना जाता है कि जिस वर्ग की जनसंख्या जितनी अधिक है, उसे शासन प्रणाली में उतना ही समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। चूंकि महिलाएँ समाज का लगभग आधा हिस्सा हैं, इसलिए राजनीतिक संस्थाओं में उनकी पर्याप्त उपस्थिति लोकतांत्रिक न्याय की दृष्टि से आवश्यक है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम सहभागी प्रतिनिधित्व (Participatory Representation) है। इसका तात्पर्य केवल निर्वाचित होने से नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों, चुनाव अभियानों, नीति निर्माण समितियों, संसदीय समितियों तथा प्रशासनिक निकायों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से है। यदि महिलाएँ केवल निर्वाचित पदों पर हों लेकिन निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति से वंचित रहें, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य पूर्ण नहीं माना जा सकता।

महिला प्रतिनिधित्व की अवधारणा सामाजिक समावेशन और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह मान्यता है कि महिलाएँ अपने विशिष्ट सामाजिक अनुभवों के कारण कुछ ऐसे मुद्दों को सामने ला सकती हैं जिन्हें पुरुष नेतृत्व प्रायः पर्याप्त महत्व नहीं देता। उदाहरण के लिए, मातृ स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, लैंगिक हिंसा, बालिका शिक्षा और कार्यस्थल पर समान अवसर जैसे विषय महिलाओं की भागीदारी से अधिक प्रभावी रूप से नीति एजेंडा में शामिल हो पाते हैं।

समकालीन राजनीतिक विमर्श में महिला प्रतिनिधित्व को केवल अधिकारों के प्रश्न के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे सुशासन, लोकतांत्रिक गुणवत्ता और सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टिकोण से महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की गहराई और उसकी समावेशी प्रकृति का प्रमुख संकेतक है।

3. भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक विकास

भारतीय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित और कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव के निषेध तथा अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करते हैं।

1952 में प्रथम लोकसभा के गठन के समय महिला सांसदों की संख्या अत्यंत कम थी। समय के साथ इसमें वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही। 18वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 13–14 प्रतिशत के आसपास है, जो वैश्विक औसत से कम माना जाता है।

भारतीय महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का इतिहास सामाजिक सुधार आंदोलनों से भी प्रभावित रहा है। उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा सामाजिक समानता के पक्ष में कार्य किया। इन सुधारों ने महिलाओं में सामाजिक जागरूकता बढ़ाई और उन्हें सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने महिलाओं को सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। परिणामस्वरूप हजारों महिलाएँ राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ीं और स्वतंत्रता संग्राम की अग्रिम पंक्ति में दिखाई दीं।

स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं ने राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। श्रीमती इंदिरा गांधी का भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनना भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके अतिरिक्त प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं, जबकि कई महिलाओं ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष तथा केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। हालाँकि शीर्ष नेतृत्व के कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों के बावजूद सामान्य स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत सीमित बना रहा। राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को कम टिकट दिए जाने, सामाजिक बाधाओं तथा आर्थिक सीमाओं के कारण उनकी भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ सकी।

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से आया। इन संशोधनों ने स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों महिलाओं को पहली बार औपचारिक राजनीतिक नेतृत्व का अवसर प्राप्त हुआ। इसने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की तथा भविष्य में उच्च राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी के लिए आधार तैयार किया।

4. भारत में वर्तमान महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, किन्तु संसद और विधानसभाओं में उनकी संख्या अभी भी सीमित है। हाल के आंकड़ों के अनुसार—

- 18वीं लोकसभा में 74 महिला सांसद निर्वाचित हुईं
- लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 13.8 प्रतिशत है।
- अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से कम है।
- भारत का संसदीय महिला प्रतिनिधित्व विश्व के अनेक देशों की तुलना में निम्न स्तर पर है।

अंतर-संसदीय संघ (IPU) के आंकड़ों के अनुसार भारत महिला प्रतिनिधित्व के मामले में कई देशों से पीछे है। विश्व स्तर पर संसदों में महिलाओं की औसत भागीदारी 27 प्रतिशत से अधिक है जबकि भारत में यह लगभग आधी है। भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। एक ओर महिलाओं की मतदान दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई राज्यों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर या उससे अधिक दर्ज की गई है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में उनकी संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इससे स्पष्ट होता है कि मतदाता के रूप में महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है, किन्तु प्रतिनिधि के रूप में उनकी उपस्थिति अभी पर्याप्त नहीं है।

राज्य विधानसभाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। कई राज्यों में महिला विधायकों का प्रतिशत 5 से 10 प्रतिशत के बीच है। कुछ राज्यों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन समग्र रूप से महिला प्रतिनिधित्व अभी भी निम्न स्तर पर बना हुआ है। राजनीतिक दलों द्वारा सीमित संख्या में टिकट दिए जाने को इसका प्रमुख कारण माना जाता है।

स्थानीय निकायों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पंचायतों और नगर निकायों में आरक्षण व्यवस्था के कारण महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़कर कई राज्यों में 50 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि महिलाओं को संस्थागत अवसर प्रदान किए जाएँ तो वे राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने में सक्षम हैं।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की बढ़ती शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक जागरूकता ने उनके राजनीतिक आत्मविश्वास को बढ़ाया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी महिलाओं को राजनीतिक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने तथा जनमत निर्माण में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों की संरचना, चुनावी वित्त व्यवस्था तथा सामाजिक रूढ़ियाँ अभी भी महिलाओं के व्यापक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मार्ग में महत्वपूर्ण बाधाएँ बनी हुई हैं।

5. पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व

भारत में महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की सबसे बड़ी उपलब्धि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी है।

73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के माध्यम से पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया।

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ स्थानीय शासन में निर्वाचित हुईं। वर्तमान में देशभर में 15 लाख से अधिक महिलाएँ पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं।

इस आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व, प्रशासनिक अनुभव तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल तथा महिला कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक नई प्रक्रिया को जन्म दिया है। जिन महिलाओं को पहले सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता था, वे अब ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि ग्रामीण समाज में उनकी सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हुई है।

महिला प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई क्षेत्रों में महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने विद्यालयों की स्थिति सुधारने, आंगनवाड़ी सेवाओं को सुदृढ़ करने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा महिला एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व विकास के मानवीय पक्षों को अधिक महत्व देता है।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी रहा है कि इससे महिलाओं में राजनीतिक चेतना और नेतृत्व कौशल का विकास हुआ है। अनेक महिलाएँ स्थानीय निकायों में कार्य करने के बाद जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी प्रवेश कर रही हैं। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण का एक प्रभावी माध्यम बन गया है।

हालाँकि पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधित्व की सफलता के बावजूद कुछ चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। कई स्थानों पर महिलाओं को प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जबकि कुछ मामलों में परिवार के पुरुष सदस्य उनके अधिकारों का प्रयोग करते हैं। फिर भी समय के साथ शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण महिला प्रतिनिधियों की प्रभावशीलता में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है।

इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्वरूप प्रदान किया है।

6. महिला आरक्षण और नारी शक्ति वंदन अधिनियम

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण की मांग कई दशकों से की जा रही थी। 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। हालाँकि इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी होने के कारण व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई है। महिला आरक्षण का विचार भारतीय राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न महिला संगठनों, सामाजिक आंदोलनों तथा राजनीतिक चिंतकों ने यह तर्क दिया कि जब तक महिलाओं को विधायी संस्थाओं में आरक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक उनकी राजनीतिक

भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाएगी। इसी उद्देश्य से संसद में कई बार महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु विभिन्न राजनीतिक कारणों से इसे लंबे समय तक पारित नहीं किया जा सका।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यह अधिनियम महिलाओं को केवल राजनीतिक अवसर प्रदान करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम के लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इस कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, नीति-निर्माण में उनकी आवाज को अधिक महत्व मिलेगा तथा लैंगिक समानता को संस्थागत आधार प्राप्त होगा। दूसरी ओर कुछ आलोचकों का मत है कि आरक्षण के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा राजनीतिक प्रशिक्षण पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है, ताकि वे प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर सकें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह युवा महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरित करेगा। जब राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, तब समाज में महिला नेतृत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा और राजनीति को पुरुष-प्रधान क्षेत्र के रूप में देखने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।

इस प्रकार यह अधिनियम केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने का उपाय नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक न्याय, राजनीतिक समानता और महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहल है।

7. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व की प्रमुख चुनौतियाँ

- पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना:** भारतीय समाज लंबे समय तक पितृसत्तात्मक व्यवस्था से प्रभावित रहा है। राजनीतिक नेतृत्व को प्रायः पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है, जिससे महिलाओं की भागीदारी सीमित हुई है। पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित रखने की अपेक्षा की जाती है। परिवार और समाज में प्रचलित रूढ़िवादी दृष्टिकोण महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। परिणामस्वरूप अनेक योग्य महिलाएँ राजनीति में प्रवेश करने से हिचकिचाती हैं।
- आर्थिक संसाधनों की कमी:** चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। आर्थिक निर्भरता महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाओं को प्रभावित करती है। भारत में अधिकांश महिलाओं की आर्थिक स्थिति पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है। चुनावी प्रचार, संगठन निर्माण, जनसंपर्क तथा राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में अनेक महिलाएँ चुनावी राजनीति में सक्रिय भागीदारी नहीं कर पातीं। आर्थिक संसाधनों की कमी महिलाओं के लिए एक प्रमुख संरचनात्मक बाधा है।
- राजनीतिक दलों का सीमित समर्थन:** राजनीतिक दल महिलाओं को अपेक्षाकृत कम टिकट प्रदान करते हैं। उन्हें अक्सर कम सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ाया जाता है। राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में भी पुरुषों का प्रभुत्व देखा जाता है। कई दल महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका देने के बजाय प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रखते हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो पाती।
- शिक्षा और जागरूकता की कमी:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम होने से उनकी राजनीतिक भागीदारी प्रभावित होती है। शिक्षा राजनीतिक अधिकारों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। जिन क्षेत्रों में महिला शिक्षा का स्तर कम है, वहाँ राजनीतिक भागीदारी भी अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। इसलिए शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता का विस्तार महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
- राजनीतिक हिंसा और सुरक्षा:** चुनावी हिंसा, सामाजिक दबाव और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा महिलाओं के लिए अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। राजनीति में सक्रिय महिलाओं को कई बार सामाजिक आलोचना, मानसिक उत्पीड़न, चरित्र हनन तथा सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डिजिटल युग में ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर ट्रोलिंग जैसी समस्याएँ भी महिला नेताओं के लिए नई चुनौतियाँ बनकर उभरी हैं। ये परिस्थितियाँ अनेक महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से हतोत्साहित करती हैं।
- प्रॉक्सी नेतृत्व:** कई स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं। इसे "सरपंच पति" या प्रॉक्सी राजनीति की समस्या कहा जाता है। यद्यपि आरक्षण ने महिलाओं को राजनीतिक अवसर प्रदान किए हैं,

लेकिन कुछ मामलों में वास्तविक शक्ति पुरुष परिजनों के हाथों में बनी रहती है। इससे महिला प्रतिनिधित्व का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। हालांकि समय के साथ अनेक महिला प्रतिनिधियों ने इस स्थिति को चुनौती दी है और स्वतंत्र नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है।

7. **दोहरी जिम्मेदारियों का दबाव:** महिलाओं को अक्सर पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। घरेलू कार्यों, बच्चों की देखभाल तथा सामाजिक दायित्वों के साथ राजनीतिक गतिविधियों का निर्वहन करना कई महिलाओं के लिए कठिन हो जाता है। यह अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके राजनीतिक करियर के विकास को प्रभावित कर सकती है।

8. **लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता:** राजनीति में महिलाओं की क्षमता को लेकर समाज में अभी भी अनेक पूर्वाग्रह मौजूद हैं। कई बार महिलाओं को पुरुष नेताओं की तुलना में कम सक्षम या कम प्रभावी समझा जाता है। यह मानसिकता उनकी राजनीतिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है तथा नेतृत्व के अवसरों को सीमित करती है।

इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारतीय महिलाएँ लगातार राजनीति में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ा रही हैं। उचित नीतियों, सामाजिक समर्थन और संस्थागत सुधारों के माध्यम से इन बाधाओं को कम किया जा सकता है तथा महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।

8. महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व

महिलाओं का पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, यह लोकतांत्रिक समानता को मजबूत करता है। जब समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तब लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है।

दूसरे, महिला प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक कल्याण जैसे विषयों को प्राथमिकता देती हैं। इससे नीति निर्माण अधिक संवेदनशील और जनोन्मुखी बनता है।

तीसरे, महिला नेतृत्व सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देता है और भावी पीढ़ी के लिए सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

चौथे, महिलाओं की भागीदारी से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलता है।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण समाज और राष्ट्र के विकास से भी जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत समान भागीदारी और समान अवसर पर आधारित होता है। यदि जनसंख्या के आधे हिस्से को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता, तो लोकतंत्र की समावेशी प्रकृति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लोकतंत्र की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

महिलाएँ समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और आवश्यकताओं को अलग दृष्टिकोण से समझती हैं। उनके अनुभव और संवेदनशीलता नीति-निर्माण प्रक्रिया को अधिक व्यापक और संतुलित बनाते हैं। जब महिलाएँ संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, तब महिलाओं, बच्चों, वृद्धों तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जाता है। इससे सामाजिक कल्याण योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं।

महिला प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि यह लैंगिक समानता को संस्थागत आधार प्रदान करता है। राजनीतिक नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति समाज में यह संदेश देती है कि महिलाएँ भी पुरुषों के समान नेतृत्व क्षमता रखती हैं। इससे पारंपरिक लैंगिक धारणाओं में परिवर्तन आता है तथा महिलाओं के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता में वृद्धि होती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रतिनिधियों की सफलता अन्य महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रेरित करती है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सामाजिक न्याय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोकतांत्रिक शासन तभी प्रभावी माना जाता है जब वह समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। महिला प्रतिनिधित्व से शासन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी और जनोन्मुखी बनती है, क्योंकि निर्णय-निर्माण में विविध दृष्टिकोणों का समावेश होता है। इससे नीतियाँ अधिक संतुलित, समावेशी और न्यायपूर्ण बनती हैं।

आर्थिक विकास की दृष्टि से भी महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। अनेक शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन देशों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अधिक होती है, वहाँ मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के सूचकांक अपेक्षाकृत बेहतर होते

हैं। महिलाएँ अक्सर मानव संसाधन विकास और सामाजिक निवेश से जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक संस्कृति को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राजनीति में संवाद, सहयोग और सहमति आधारित निर्णय-निर्माण को बढ़ावा देती है। इससे राजनीतिक संस्थाओं में विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती होती है। साथ ही, यह नागरिकों के बीच राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता को भी प्रोत्साहित करता है।

वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में महिला नेतृत्व का महत्व और अधिक बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, लैंगिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों के समाधान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व केवल राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों की भी अनिवार्यता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मजबूती, सामाजिक न्याय की स्थापना, लैंगिक समानता के संवर्धन तथा समग्र राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। महिलाओं की प्रभावी राजनीतिक भागीदारी से न केवल शासन व्यवस्था अधिक समावेशी बनती है, बल्कि समाज में समानता, न्याय और प्रगतिशील परिवर्तन की प्रक्रिया भी सुदृढ़ होती है।

9. सुधार हेतु सुझाव

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं—

1. संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन।
2. राजनीतिक दलों द्वारा न्यूनतम 33 प्रतिशत टिकट महिलाओं को प्रदान करना।
3. महिला नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार।
4. चुनावी व्यय के लिए विशेष वित्तीय सहायता।
5. राजनीतिक हिंसा और लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध कठोर कार्रवाई।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।
7. युवा महिलाओं को राजनीति में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन।
8. डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया का उपयोग कर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना।

10. निष्कर्ष

महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की गुणवत्ता और सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण सूचक है। भारत में महिलाओं ने मतदान, स्थानीय शासन और राजनीतिक जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण ने महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा प्रदान कर सकता है। यदि इसके प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए और राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान करें, तो भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित और समावेशी बन सकता है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी।

भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि संवैधानिक समानता और राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता के बावजूद वास्तविक प्रतिनिधित्व की स्थिति अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं को मतदान, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पदों पर आसीन होने के समान अधिकार प्राप्त हुए, किन्तु सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक बाधाओं के कारण उनकी भागीदारी लंबे समय तक सीमित रही। इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता, चुनावी सहभागिता तथा नेतृत्व क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। पंचायतों और नगरीय निकायों में लाखों महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने न केवल उन्हें नेतृत्व का अवसर प्रदान किया है, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका के प्रति पारंपरिक धारणाओं को भी चुनौती दी है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि अवसर और संस्थागत समर्थन मिलने पर महिलाएँ प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम हैं। हालाँकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अभी भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। राजनीतिक दलों द्वारा सीमित टिकट वितरण, चुनावी संसाधनों की कमी, पितृसत्तात्मक मानसिकता, राजनीतिक हिंसा तथा सामाजिक पूर्वाग्रह जैसी चुनौतियाँ आज भी महिला प्रतिनिधित्व के मार्ग में बाधा बनी हुई हैं। इसलिए केवल संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के लिए अनुकूल राजनीतिक वातावरण का निर्माण भी आवश्यक है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसके साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी अपनी आंतरिक संरचना में महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने होंगे तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के माध्यम से महिला नेताओं की नई पीढ़ी तैयार करनी होगी। महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की समग्र गुणवत्ता, सुशासन, सामाजिक न्याय और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। महिलाओं की भागीदारी से नीति-निर्माण प्रक्रिया अधिक समावेशी, संवेदनशील और जनोन्मुखी बनती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महिला नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी बनाने की आवश्यकता भी है। जब महिलाएँ राजनीतिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में समान भागीदार बनेंगी, तभी लोकतंत्र की वास्तविक भावना साकार होगी। इसलिए सरकार, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर ऐसे प्रयास करने होंगे जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें और उन्हें नेतृत्व के अधिक अवसर प्रदान करें। यही भारत में समतामूलक, न्यायपूर्ण और सशक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला सिद्ध होगा।

संदर्भ (References)

1. Agarwal, B. (2010). *Gender and Green Governance: The Political Economy of Women's Presence Within and Beyond Community Forestry*. Oxford University Press.
2. Basu, A. (2015). *Women's Movements in the Global Era: The Power of Local Feminisms*. Westview Press.
3. Bhargava, G. (2019). *Women and Political Empowerment in India*. Rawat Publications, Jaipur.
4. Chandra, K. (2017). *Democratic Dynasties: State, Party and Family in Contemporary Indian Politics*. Cambridge University Press.
5. Desai, N. & Krishnaraj, M. (2016). *Women and Society in India*. Ajanta Publications, New Delhi.
6. Election Commission of India. (2024). *Statistical Report on General Elections to Lok Sabha*. New Delhi.
7. Government of India. (2023). *The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Adhinyam)*. Ministry of Law and Justice, New Delhi.
8. Government of India. (2024). *The Constitution of India*. Ministry of Law and Justice, New Delhi.
9. Inter-Parliamentary Union (IPU). (2024). *Women in National Parliaments Report*. Geneva.
10. Jha, N. K. (2018). *Women in Indian Politics: Participation and Representation*. Anmol Publications, New Delhi.
11. Kaushik, S. (2017). *Women and Panchayati Raj*. Har-Anand Publications, New Delhi.
12. Kishwar, M. (2019). *Women and Politics in India*. Oxford University Press, New Delhi.
13. Kumar, R. (2020). *Women and Governance in India*. Concept Publishing Company, New Delhi.
14. Ministry of Panchayati Raj. (2024). *Annual Report*. Government of India, New Delhi.



15. Ministry of Women and Child Development. (2024). *Women Empowerment and Gender Equality Report*. Government of India, New Delhi.
16. Nair, J. (2018). *Women and Politics in Modern India*. Permanent Black Publications, Delhi.
17. National Commission for Women. (2023). *Status of Women in Political Participation in India*. New Delhi.
18. Pai, S. (2019). *Gender Politics and Governance in India*. Sage Publications, New Delhi.
19. Rai, S. M. (2017). *Gender and Political Representation*. Wiley-Blackwell Publications.
20. Sharma, R. K. (2021). *Political Participation of Women in India*. Atlantic Publishers, New Delhi.
21. Singh, S. (2020). *Women Empowerment and Democratic Governance*. Rawat Publications, Jaipur.
22. United Nations Women. (2024). *Progress on the Sustainable Development Goals: Gender Snapshot*. New York.
23. Verma, S. P. (2018). *Indian Political System and Women Representation*. Pointer Publishers, Jaipur.
24. Yadav, Y. (2022). *Electoral Politics and Democratic Participation in India*. Orient Blackswan, New Delhi.
25. Economic and Political Weekly. (2018–2024). Various Articles on Women's Political Representation and Gender Equality in India. Mumbai.